बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC) से संबंधित

प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

1. सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 में कौन से आंकड़े उपलब्ध कराये जायेंगे और कहाँ पर?

   SECC के प्रारूप सूची में धर्म और जाति के नाम के बारे में दी गई जानकारी को छोड़कर अन्य सभी आंकड़े दिये जायेंगे। SECC की प्रारूप सूची प्रखंड कार्यालय, पंचायत कार्यालय एवं पंचायत अंतर्गत सार्वजनिक स्थान पर प्रकाशित की जायेगी। इस सूची को EB (प्रगणन खंड) स्तर पर आम सभा में पंचायत स्तरीय पदाधिकारी द्वारा पढ़कर जनसाधारण को सुनाया जाना है। इसके अतिरिक्त सभी परिवारों को उस परिवार से संबंधित प्रारूप सूची की प्रति उपलब्ध कराई जा रही है। पारिवारिक प्रारूप सूची वितरण के क्रम में अधिकृत पंचायत स्तरीय पदाधिकारी परिवार से संबंधित तथ्यात्मक सूचनाओं का सत्यापन कर आवश्यकतानुसार उसके संबंध में दावा/आपत्ति दाखिल करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

   संबंधित परिवार को प्रारूप सूची उपलब्ध कराई गई है कि नहीं इसकी जांच जिला पदाधिकारियों द्वारा कराई जा रही है।

2. क्या प्रारूप प्रकाशन में जाति संबंधी सूचना प्रकाशित की जा रही है?

   प्रारूप प्रकाशन में जाति संबंधी सूचना प्रकाशित नहीं की जा रही है। प्रारूप सूची में केवल वर्गवार यह सूचना प्रकाशित की जा रही है कि सर्वेक्षित परिवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य जाति वर्ग के हैं।

3. क्या परिवारों को विभक्त करने का प्रावधान है?

   जनगणना 2011 में एक परिवार के सदस्य के रूप में जिन व्यक्तियों की गणना हुई है, SECC के अंतर्गत भी उस परिवार के ही वे सदस्य माने जायेंगे क्योंकि SECC का मुख्य आधार जनगणना का आँकड़ा है। SECC के अंतर्गत जनगणना में अंकित परिवार को विभक्त करने का प्रावधान नहीं है।

4. क्या छूटे हुए नाम जोड़े जा सकते हैं?

   हाँ, छूटे हुए नाम विहित प्रपत्र 'सी' में आवेदन देकर जोड़े जा सकते हैं।

5. इस सूची का क्या उपयोग प्रस्तावित है?

   तत्काल इस सूची का उपयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत पात्र परिवारों के चयन हेतु प्रस्तावित है जिसके अन्तर्गत पात्र परिवारों के सभी सदस्य राशन के लिये हकदार होंगे।

6. SECC की सूची और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सूची में क्या अंतर है?

   गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले परिवारों की सूची 2002 में 13 सामाजिक आर्थिक सूचकांकों के साथ 52 अंकों के आधार पर बनाई गई थी जबकि SECC की सूची, परिवारों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर बनने वाली सूची है, जो भविष्य में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की पहचान का आधार होगा। SECC सूची से BPL सूची बनाने के मापदंड अभी निर्धारित नहीं हुए हैं।

7. यदि SECC की सूची में कोई परिवार या व्यक्ति छूट जाता है तो आगे किस प्रकार समावेश होगा?

   इस हेतु अनवरत जॉचोपरान्त नाम समावेश हेतु व्यवस्था की जायेगी। तत्काल प्रारुप प्रकाशन अवधि में विहित प्रपत्र में दावे/आपत्ति दिये जा सकते हैं।

8. SECC के दौरान गलत सूचना देने पर क्या कार्रवाई होगी?

   हर परिवार का मुखिया अपने परिवार के बारे में सही जानकारी देने हेतु जिम्मेदार है। यदि किसी ने जानबूझकर गलत सूचना दी है तो वे कानूनी कार्रवाई के भागी होंगे।

नोट :- इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए संबंधित जिला पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

सू.ज.स.वि.-12501 स. (आर.डी.डी.) 13-14, बिहार